राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क-3/85 जयपुर, दिनांक 10-9-2002

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर सहित)

परिपत्र

कार्मिक विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17-10-1986 द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 15 के उप नियम (1) के अन्तर्गत संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समस्त क्षेत्रीय तथा जिला स्तरीय अधिकारियों को, प्रत्यक्षतः, उनके नियंत्रणाधीन अधिनस्थ सेवा के सदस्यों के मामलों में दो वार्षिक वेतनवृद्धियां बिना संचयी प्रभाव के रोकने तक की शास्तियां अधिरोपित करने के लिये सशक्त किया है।

इस सन्दर्भ में कुछ विभागों द्वारा यह स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि अनुशासनिक शक्तियों के इस प्रकार के प्रत्यायोजन के कारण जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के अधिकारीगण जो अधिनस्थ कर्मचारियों के नियुक्ति एवं अनुशासनिक प्राधिकारी है, की मूल शक्तियों पर क्या प्रभाव रहेगा।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश दिनांक 17-10-1986 के द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी की मूल शक्तियों को प्रभावित नहीं किया गया है।

शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत उक्त आदेश दिनांक 17-10-1986 के द्वारा उन जिला/क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके नियंत्रणाधीन अधिनस्थ सेवा के सदस्यों के मामलों में नियमान्तर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धियां बिना संचयी प्रभाव से रोकने तक की शास्ति अधिरोपित करने के लिये सशक्त किया गया है जो नियोक्ता अधिकारी नहीं है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिला/क्षेत्रीय स्तर के नियोक्ता एवं अनुशासनिक प्राधिकारियों के सन्दर्भ में उक्त आदेश दिनांक 17-10-1986 की प्रासगिकता नहीं है और वे राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 तथा 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही में नियम 14 के अन्तर्गत कोई भी शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम है।

(सी.एम.मीना)
शासन सचिव